बिहार विधान-सभा।

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि 22 मार्च, 1983 ई०

बिषय-सूची ।

	पृष्ठ ।
विधान-कार्य : सरकारी (वित्तीय) विधेयक : बिहार वित्त विधेयक, 1983 : वि०सं० (स्वीकृत)	1—35
स्थगन प्रस्ताव की सूचना	35—39
शून्यकाल को चर्चाएं :	
(क) अमझोर में सलफ्युरिक एसिड प्लांट बैठाने की व्यवस्था ..	40
(ख) 36 आर०डी० पर शीघ्रातिशीघ्र एक फाल बनाने की व्यवस्था	40
(ग) विद्युत् बोर्ड के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की नियुक्ति ..	41
(घ) बागमती की बाढ़ से जोरों से कटाव	41
(ङ) पटवन नहीं होने पर भी नहर रेट की वसूली ..	41
(च) अवैध रूप से कोयले को निकासी	42
(छ) नियुक्ति में स्थानीय लोगों की उपेक्षा	42
(ज) बछवारा प्रखंड में जल निकासी की व्यवस्था ..	42
(झ) श्री लखन लाल यादव एवं अन्य तीन व्यक्तियों की नियुक्ति	43
(ञ) धनडीहा ग्राम में रिंग बांध की व्यवस्था	43
(ट) कोषागार एवं लेखा निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा धरना ..	43
(ठ) शिक्षकों के वेतन का भुगतान	44
(ड) माननीय सदस्य की जान की सुरक्षा	44
(ढ) लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के अनुसार नियुक्ति ..	45
(ण) बेलसंड-छतौनी सड़क का निर्माण	45
(त) टाटा जमींदारी विधेयक का विरोध	46
(थ) हरिजन-आदिवासियों को अपमानित करना	46—49
(द) सी०सी०एल० के अधिकारियों द्वारा अवैध ढंग से विस्फोट	49
(ध) थाना प्रभारी का स्थानांतरण	49
(न) श्री यमुना पाठक एवं अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी ..	50
(प) जूट मिल के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल ..	50
(फ) किसानों के साथ अन्याय	50
(ब) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई	51

उक्त घटना की सूचना पाकर थाना के कनीय अवर-निरीक्षक श्री पी० डी० पांडेय, जो उसी में थे, बलहा बाजार पहुंचे और थाना प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंहा के फर्द बयान के आधार पर भगवानपुर थाना कांड सं० 15, दिनांक 14 फरवरी 1983, धारा 395/397/398 भा०दं०वि० के अंतर्गत अभियुक्त सुदामा पासी सहित 14 अभियुक्तों के विरुद्ध स्थापित किया गया, जो अभी अनुसंधानान्तर्गत है। इस घटना की सूचना पाकर आरक्षी अधीक्षक, सीवान और अनुमंडलीय आरक्षी पदाधिकारी, सीवान तत्काल घटना-स्थल पर गये और उन्होंने इस कांड का पर्यवेक्षण किया।

यह बात सही नहीं है कि आरक्षी अधीक्षक एवं आरक्षी उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने बलहा गांव जाकर पासियों के छतदार मकान को तोड़ दिया, उनकी पलानियों को उजाड़ दिया और लूटपाट की।

उपरोक्त कांड के अभियुक्त घटना के बाद फरार हो गये थे। न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दंड-प्रक्रिया-संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 1983 एवं 17 फरवरी 1983 को फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की-जब्ती की कार्रवाई निष्पक्ष साक्षियों की उपस्थिति में विधिवत की गयी थी। कुर्की-जब्ती के क्रम में अभियुक्तों के घरों की सम्पत्ति, जिसमें बकरियां और पशु भी शामिल हैं, जब्त की गयी थीं।

यह बात भी सही नहीं है कि पुलिस बलहा गांव में आतंक फैला रही है और पुलिस जुल्म से लोग भयभीत हैं। यह भी कहना निराधार है कि पासियों के बाल-बच्चे बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं और वहां पुलिस जुल्म जारी है। उक्त घटना के क्रम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा जमानत पर हैं और शांतिपूर्वक अपने घरों में रह रहे हैं।

अध्यक्ष—आप दो बजे अपराह्न में पूरक पूछेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री दीनानाथ पांडेय—महोदय, मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री जनार्दन यादव—मैं अपनी दो याचिकायें उपस्थापित करता हूं।

श्री ब्रजकिशोर सिंह—महोदय, मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री रामनगीना सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अजीत सरकार—मैं भी अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री तुलसी सिंह—मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री मो० मुस्ताक—अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री पुरेश्वर झा--मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी याचिका उपस्थापित करता हूं।

राजकीय आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्रीमती ब्यूला दोजा (सभापति)--अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 211(*i*) के अन्तर्गत आश्वासन समिति का 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, 49वां तथा 52वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

याचिका समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान।

श्री राजमंगल मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का सभापति, समिति की ओर से अधिकृत होकर बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम 211(*i*) के अंतर्गत याचिका समिति का 125वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री नागेन्द्र नाथ झा--मैं सभापति लोक-लेखा समिति बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के नियम '211' के अंतर्गत समिति का 168वां एवं 169वां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री एस० के० बाग--महोदय, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग बिहार की सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

महोदय, बिहार स्टेट क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना (निगम की सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रोन्नति) से संबंधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का 16वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री कर्पूरी ठाकुर--अध्यक्ष महोदय, बलुआ बाजार में जो अपराध हुए हैं, उसके लिए एक जांच समिति बना दी जाय और उसमें श्री रफीक आलम के साथ पांच सदस्य कांग्रेस (आई) के और उनके अतिरिक्त अपोजिशन के लीडर को मिलाकर एक कमिटी गठित की जाय जो बलुआ बाजार की घटना की जांच करे।